

प्रपत्र-1

आपकी सूचना के अधिकार के लिए

1. लोक प्राधिकरण का नाम : पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग
क. पद नाम : निदेशक
ख. पता: : अल्बर्ट हॉल के पीछे रामनिवास बाग, जयपुर
ग. दूरभाष : 0141-5190400
2. लोक सूचना अधिकारी का नाम : श्री हृदेश कुमार शर्मा
क. पद नाम : निदेशक
ख. पता: : अल्बर्ट हॉल के पीछे रामनिवास बाग, जयपुर
3. आवेदन शुल्क प्रार्थना पत्र के साथ : रू. 10/-
4. अभिलेखों के निरीक्षण के लिए : प्रथम घंटे-कोई फीस नहीं अतिरिक्त प्रत्येक 15 मिनट या उसके भाग के लिए रू.5/-
5. प्रतिलिपि : रू. 2/- प्रति पृष्ठ (ए-4 या ए-3 आकार में)
6. प्रतिलिपि (बड़े आकार के पृष्ठ) : वास्तविक प्रभार अथवा लागत (बड़े आकार के पृष्ठ)
7. सैम्पल या मॉडल के लिए : वास्तविक लागत कीमत
8. डिस्क या फ्लोपी : रू. 50/- प्रति फ्लोपी या डिस्क
9. मुद्रित सूचना के लिए : नीयत मूल्य या प्रकाशन के उद्धरणों की प्रति पृष्ठ फोटो के लिए रू. 2/-

अपीलीय अधिकारी — प्रमुख शासन सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

शुल्क राशि नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक अथवा भारतीय पोस्टल ऑर्डर के रूप में जमा करायी जा सकती है।

सूचना लेने हेतु आवेदन पत्र

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत)

1. आवेदक का नाम :
2. पिता का नाम :
3. पूरा पता (मय फोन नंबर) :
4. आवेदन देने की दिनांक :
5. कार्यालय/विभाग का नाम :
6. चाही गई जानकारी का विवरण:.....
.....
.....
7. क्या चाहते हैं- नकल/रिकार्ड का निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/प्रमाणित नमूना
8. आवेदन की फीस 10 रु. नकद या ड्रॉफ्ट से हबी.पी.एल. के लिए नहीं)
9. आवेदक बी.पी.एल है अथवा नहीं हों/नही यदि हों तो बी.पी.एल.सूची का क्रमांक.....

हस्ताक्षर आवेदनकर्ता

--: पावती :-

1. आवेदक का नाम व पता :
 2. आवेदन प्राप्त होने की दिनांक :
 3. आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी लेने हेतु पुनः आने की दिनांक :
 4. संबंधित विभाग/अधिकार जहां से जानकारी उपलब्ध होगी :
- दिनांक :

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
(सूचना अधिकारी/सहायक लोग सूचना अधिकारी द्वारा प्राधिकृत)
पदनाम मोहर सहित

4(1)बी-(Xii) एवं (Xiii) अनुदान नि पादन की प्रक्रिया एवं योजना से लाभान्वित होने वाली संस्थों का विवरण

केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के तहत स्मारकों एवं संग्रहालयों के संरक्षण कार्य हेतु समय-समय पर अनुदान प्राप्त होता है। विभाग द्वारा इस राशि का उपयोग के.प्र.यो. की शर्तों के अनुरूप नियमानुसार किया जाता है।

विभाग द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान की अभिवृद्धि हेतु छात्रों को निःशुल्क स्मारकों/संग्रहालयों में प्रवेश टिकट पर 50 प्रतिशत छूट के साथ प्रवेश दिया जाता है तथा उन्हें विभागीय अधिकारियों द्वारा निःशुल्क गार्डेन्स भी दी जाती है। स्मारकों पर फिल्मीकरण की व्यवस्था भी निःशुल्क उपलब्ध है:-

संलग्नक - फिल्म शूटिंग की दरें

4(1)बी-(Xiv) सूचना के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया का विवरण

सूचना के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया सुविधा फ़ैक्स संख्या 2565124 पर उपलब्ध है।

4(1)बी-(Xv) सूचना प्राप्त करने हेतु उपलब्ध सुविधा "पुस्तकालय" का विवरण

विभागीय संदर्भ पुस्तकाध्यक्ष में शोधार्थियों एवं इतिहासविज्ञों को संदर्भ प्रदान किया जाता है। इस संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिये दूरभाष संख्या 2565124 पर सम्पर्क किया जा सकता है। पुस्तकालय कार्यालय समय के दौरान शोधार्थियों एवं इतिहासविज्ञों हेतु खुला रहता है।

(viii) समितियों, परिषदों मण्डलों एवं अन्य निकायों का विवरण

राजस्थान राज्य संग्रहालय एवं स्मारक प्रबन्धन एवं विकास संस्था

संग्रहालयों/स्मारकों पर विकास कार्य एवं पर्यटकों को सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान राज्य संग्रहालय एवं स्मारक प्रबन्धन एवं विकास संस्था का गठन एक कार्यकारिणी समिति के माध्यम से किया हुआ है। इसके अन्तर्गत अलबर्ट हॉल, हवामहल, एवं जन्तर मन्तर के संरक्षण एवं विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार करवाये जाकर संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्य करवाये गये हैं।

संस्था के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:-

1. राजस्थान के संग्रहालयों/पुरास्थलों में प्रदर्शित/संरक्षित कला-पुरा सामग्री का परिरक्षण, संधारण, प्रकाशन, रसायनिक उपचार एवं प्रलेखन का कार्य करवाना।
2. कला-पुरा सामग्री का शास्त्रीय विधि के अनुसार वैज्ञानिक ढंग से प्रदर्शन तथा शोधार्थियों को समुचित सुविधाएँ प्रदान करना।
3. धरोहर के विविध पक्षों पर कार्यशालाएँ, संगोष्ठियाँ, प्रदर्शनियाँ आयोजित करना।
4. संग्रहालयों की सुरक्षा, संरक्षण, संधारण हेतु कोष स्थापित कर इनके स्वरूप को अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुरूप विकसित करवाना।